(3)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी अनुपमा टेलर आर. ए. एस.)

अपील संख्या 51 / 2021 दायरा दिनांक : 19.03.2021

उनवान

1– श्रीमती काली बाई बेवा माना लाल पुत्री स्वर्गीय चुन्नीलाल, आयु 48 साल, जाति चमार, निवासी मेघवाल मोहल्ला, डग जिला झालावाड़

2– श्रीमती रामकन्या पत्नि रमेश पुत्री स्वर्गीय चुन्नीलाल, आयु 46 साल, जाति चमार, निवासी 179, राजीव गॉधी नगर मानवासा, उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

.... अपीलांटगण

बनाम

1– गोपाल लाल आत्मज भैरूलाल, आयु 49 साल, जाति सुथार, निवासी डग, जिला झालावाड़

2– प्रहलाद सिंह आत्मज श्री रतन सिंह, जाति राजपूत, निवासी सालरिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड (मृतक कायम मुकामान) :–

2/1– लाभू बाई विधवा पत्नि प्रहलाद सिंह, आयु 35 साल, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सालरिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

26/12/2022

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

2/2– निहारिका नाबालिग पुत्री प्रहलाद सिंह (मृतक) आयु 5 साल जरिये वली माता लाभू बाई पत्नि प्रहलाद सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सालरिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंटगण

उपस्थित : –

श्री अरूण कुमार जैन एवं श्री मुरलीमनोहर गुप्ता अभिभाषक अपीलांट

रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.02.2021 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार जिससे वाद संख्या 00013/2016 वास्ते 88 घोषणा वादी का वाद स्वीकार किया गया तथा आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया गया।

निर्णय **दिनांक : 26.12.2022**

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि :–

2 वाद में वादी व खिलाफ 1 लगायत 3 प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम डग, तहसील गंगधार में खाता संख्या 384 नया, खाता संख्या 544 पुराना खसरा नम्बर 1137 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1141 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा आराजी स्थित है। जो गोपाल पिसरान भैरू लाल

26/12/

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

सुथार हिस्सा 1/3 व मनमोहन सिंह पुत्र नेपाल सिंह राजपूत हिस्सा 2/3 वाके हैं। इसलिए उक्त वाद में उक्त भूमि वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। नकल खाता सलंग्न है।

3 वाद का हेतुक तब संदर्शित हुआ जब प्रतिवादी कमांक 1 ने उक्त भूमि का विकय प्रतिवादी कमांक 2 को बजरिये विकय पत्र दिनांक 11.12.2015 को कय कर दिया। नकल विकय पत्र सलंगन है।

4 यह कि प्रतिवादी कमांक 1 को प्रतिवादी कमांक 2 को उक्त भूमि का विकय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। यह भूमि वादी को एलाटमेंट एडवाईजर कमेटी द्वारा दिनांक 27.08.72 को खसरा नम्बर 1105 रकबा 2.04 भूमि आवंटन हुई। जिसका हाल खसरा नम्बर 1137 तथा साबिक खसरा नम्बर 1103 रकबा 1.18, 1104 मि0 रकबा 0.10, 1105मि0 रकबा 1.10, 1114 मि0 रकबा 0.16 तथा खसरा नम्बर 1105 मि0 रकबा 1.00, खसरा नम्बर 1105 मि0 रकबा 0.12 है। वादी तालाब एलाटमेंट आराजी पर बिला किसी जब्र दबाव के एलानिया काबिज काश्त है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। वादी को उक्त भूमि एलाटमेंट एडवाइजर कमेटी द्वारा खाता संख्या 1 सरकार में दर्ज होने से आवंटन की गई। नकल नामान्तरकरण संख्या 1511 एवं मिलान क्षेत्रफल साबिक एवं हाल सलंगन वाद है। यह कि प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रतिवादी कम 2 को दिया गया विकय अवैध एवं शून्य प्रभावी है। जिसे निरस्त वादी के पक्ष में कर अनुतोष प्रदान किया जावे।

5 वादी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा प्रतिवादी कमांक 1 विकेता तथा प्रतिवादी कम 2 केता दोनों ही सवर्ण जाति के व्यक्ति हैं, जो किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं हैं।

6 उक्त वाद में प्रतिवादी कम 3 भूमिधारी होने से फार्मल पक्षकार बनाया गया है।

7 खाता संख्या 947 सम्वत 2030–2049 वर्णित खातेदार नाथूलाल पुत्र फतेह लाल का फौत होना तथा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.02.2011

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

को कई वर्षों के बाद नामान्तरकरण प्रतिवादी के नाम दर्ज करना यह स्पष्ट करता है कि उक्त खातेदार की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का कोई वारिस नहीं था। यह भूमि राजगामी होना अपेक्षित थी। जिसे पटवारी हलका ने उत्तराधिकारियों का प्रमाणीकरण कर संदेह को प्रमाणित किया है। इंतकाल नम्बर 3796 एवं नायब तहसीलदार उप तहसील डग का आदेश कमांक 47/भू.अ./11 दिनांक 18.02.2011 सलंग्न है। अतः वाद वादी के पक्ष में स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में किया गया विकय पत्र शून्य प्रभावी घोषित किया जावे।

8 वादी प्रार्थना करता है कि डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी कम 1 लगायत 2 प्रदान कर वादी को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम डग का आवंटित भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी कम 2 का विकय पत्र व नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

9 **अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिका के बिन्दु संक्षेप में इस प्रकार हैं कि :–**

10 अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.08.2016 को वादी ने वाद पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किये गये। दिनांक 1.06.2017 को प्रतिवादी को रूक रूक कर तीन बार आवाज लगायी गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । पटवारी हल्का से मौका कब्जा रिर्पोट ली जाकर पत्रावली दिनांक 31.07.2017 को पेश हो। दिनांक 31.07.2017 को पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

11 (1) **आदेशिका दिनांक 31.07.2017 को निर्णय सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की गई।**

12 (2) दिनांक 23.10.2017 को प्रतिवादी नं. 2 प्रहलाद सिंह जरिये एडवोकेट हरीश भण्डारी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 नियम 13 व धारा 151 सी. पी. सी. पेश किया। प्रतिवादी नं. 2 के अभिभाषक ने मौखिक बहस पेश की। न्याय हित में निर्णय व डिकी दिनांक 31.07.2017 जो

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

एकपक्षीय आधार पर जारी किया गया उसकी कियान्विति को आगामी तारीख पेशी तक रोका जावे एवं हमें सुनवायी का अवसर दिया जावे। वादीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2017 का अमल आगामी तारीख दिनांक 28.11.2017 तक स्थगित किये जाने के आदेश किये गये ।

13 (3) आदेशिका दिनांक 31.01.2018 के अनुसार वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वादी वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 पेश किया गया। एक प्रति प्रतिवादी वकील को दी गई। पत्रावली वास्ते जवाब बहस हेतु अवसर दिया जाकर दिनांक 21.02.2018 को पेश हो।

14 **(4) आदेशिका दिनांक 01.09.2019 के द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 स्वीकार किया गया।**

दिनांक 28.02.2020 को प्रतिवादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी पी सी पेश किया जो वादी वकील को दिया गया। दिनांक 12.01.2021 को प्रार्थना पत्र पर आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी पी सी बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गई एवं पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 03.02.2021 को पेश हो।

15 **अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के बिन्दु संक्षेप में इस प्रकार हैं कि :–**
दिनांक 10.02.2021 को वकुलाय फरीके ने उपस्थित होकर गत नियत पेशी पर आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी पी सी सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद अन्तर्गत धारा 88 आर टी ए का है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम डग के खसरा नम्बर 1137 रकबा 4.14 बीघा का 1/3 हिस्से को प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 2 के पक्ष में विक्रय किया गया है। प्रतिवादी नं. 1 को विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी को यह भूमि अलाटमेंट एडवाइजर कमेटी द्वारा दिनांक 27.08.1972

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

को गैर खातेदार अलाट हुई थी जिस पर वादी काक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय में वादी को खातेदार घोषित किया गया है तथा वादी को खातेदारी पाने का पूर्ण अधिकार है एवं खातेदारी देने हेतु माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार निहित है। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा जालसाजी एवं मिलीभगत कर उक्त वादग्रस्त आराजी को विक्रय किया गया है। विक्रय पत्र को निरस्त किया जाकर वादी को खातेदारी अधिकार दिया जावे जिसकी वह पात्रता रखता है। वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के पक्ष में साईटेशन पेश किया गया। वादी को खातेदार प्रदान कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी पी सी खारिज किया जावे।

16 प्रतिवादी वकील द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि संगत व न्यायालय हाजा के अधिकारिता का नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी नम्बर 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 11.12.2015 को निरस्त करवाने हेतु पेश किया है जो सिविल न्यायालय के अधिकारिता का है। वादी द्वारा चाही गई सहायता बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.12.2015 को निरस्त किये बिना प्राप्त नहीं की जा सकती और माननीय न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। साथ ही वादी द्वारा सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। दिनांक 11.12.2015 को विक्रय पत्र का प्रतिवादी के पक्ष में इंतकाल खोला जाकर नामान्तरकरण संख्या 4694 दिनांक 20.12.2015 को तस्दीक किया गया एवं राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा चुका है। दौराने बहस प्रतिवादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया गया है कि वादी चुन्नीलाल का देहान्त दिनांक 26.06.2019 को हो चुका है। जिसके कायम मुकामान रेकार्ड में लेने बाबत् कार्यवाही नियमानुसार निर्धारित समयावधि में नहीं की गई है। आज दिनांक को भी कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं

26/12/2022

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

की गई है। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति का वाद नहीं चल सकता है। अतः प्रार्थना है कि न्यायहित में दावा अबेट हो जाने के कारण तुरन्त अबेट घोषित कर दावा खारिज किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जावे।

17 हमने पत्रावली का मनन व अवलोकन किया तथा उपस्थित विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई। वादी वकील द्वारा जो रूलिंग पेश की गई वा इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। इस न्यायालय द्वारा अपने पूर्व एकपक्षीय निर्णय दिनांक 31.07.2017 से वादी को खातेदार घोषित किया गया था। प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा दिनांक 23.10.2017 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 का प्रस्तुत कर सुनवाई का अवसर दिया जावे। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 के तहत दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात प्रतिवादी नम्बर 2 को न्यायहित में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 को स्वीकार किया। दौराने सुनवाई वादी चुन्नीलाल की मृत्यु दिनांक 26.06.2019 ो होने से मृतक व्यक्ति का वाद चलने योग्य नहीं है साथ ही रजिस्टर्ड विकय पत्र को निरस्त करने का इस न्यायालय को अधिकार नहीं है।प्रकरण में सक्षम न्यायालय में वाद दायरकर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है।

18 **अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि :–**

19 यह कि आलोच्य आदेश न्याय व तथ्यों के विरूद्ध है।यह एक स्वीकृत तथ्य है कि चुन्नीलाल अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसे आराजी खसरा नम्बर 1105 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा हाल नम्बर 1141 विधिवत दिनांक 27.08.1972 को ऐलाट हुई तथा उक्त आराजी रिपोर्ट पटवारी के अनुसार आज भी स्वर्गीय चुन्नीलाल के वारिसों का वादग्रस्त आराजी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राजस्थान)

पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज करने का कोई औचित्य नहीं था।

20 धारा 42 बी की अवहेलना में प्रतिवादी रेस्पोडेंट का नाम खातेदारी में अंकित करना गलत है क्योंकि धारा 42 बी के अर्न्तगत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि अन्य को हस्तान्तरण करना पूर्णतया विधि विरूद्ध, प्रभावहीन व शून्य है।

21 यदि कोई दस्तावेज प्रारम्भ से ही अकृत एवं शून्य है तो रेवेन्यू कोर्ट को उसे निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है तथा विक्रय पत्र जो प्रहलाद सिंह रेस्पोडेंट के पक्ष में किया गया है त्रुटिपूर्ण है।

22 अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 7 रूल 11 जाप्ता दीवानी को समझने में त्रुटि की है।

23 आलोच्य आदेश सम्पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के प्रतिकूल है तथा इसमें न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है।

24 प्रकरण में किसी भी तरह का आर्डर 7 रूल 11 जाप्ता दीवानी लागू नहीं होता है क्योंकि प्रकरण में कानून और तथ्यों का मिश्रित प्रश्न निहित है तथा सरसरी दृष्टि से दावा खारिज करना अनुचित एवं न्याय के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

25 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य लिए बिना तथा धारा 42 बी को देखे बिना, आर्डर 7 रूल 11 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र निर्णित नहीं किया जा सकता है।

26 मृत व्यक्ति के विरूद्ध आर्डर 22 व इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की अधीनस्थ न्यायालय ने खुली अवहेना की है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

27 पटवार मण्डल, डग की रिपोर्ट दिनांक 31.07.2017 में भी खसरा नम्बर 1137 की भूमि पर 40–50 वर्षो से वादी चुन्नीलाल का कब्जा होना बताया गया है।

28 अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2021 निरस्त किया जावे।

29 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1– सी. पी. सी. आर्डर 7 नियम 11 पेज 278,

2– आर. आर.डी. 1988 पेज 522

3– आर. आर. डी. 1957 पेज 127,

4– आर.बी.जे. (29) 2022 पेज 477

30 अपीलांटा कालीबाई द्वारा एक प्रार्थना पत्र आर्डर 22 रूल 4, 151 सी पी सी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि उपरोक्त अपील में रेस्पोडेंट नम्बर 2 प्रहलाद सिंह आत्मज रतन सिंह, जाति राजपूत, निवासी सालरिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ का स्वर्गवास दिनांक 18.05.2021 को हो गया है, जिसकी जानकारी अपीलांट नम्बर 1 को दिनांक 15.07.2022 को केम्प झालावाड़ में जाने पर हुई। इस पर उन्होंने तुरन्त मृत्यु प्रमाण पत्र प्रहलाद सिंह का प्राप्त करके अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। मृतक प्रहलाद सिंह के उसकी पत्नी लाभू बाई एवं नाबालिग पुत्री निहारिका आयु 5 वर्ष है जिन्हें उनके स्थान पर कायम मुकाम बनाया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

31 न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2022 को प्रार्थना पत्र आर्डर 22 रूल 4, 151 सी पी सी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर मृतक प्रहलाद सिंह के उसकी पत्नी लाभू बाई एवं नाबालिग पुत्री निहारिका आयु 5 वर्ष है को कायम मुकामान बनाकर रेकार्ड पर लिया गया।

32 अपीलांटा कालीबाई द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी का पेश कर कथन किया कि उक्त प्रकरण में मृतक चुन्नीलाल के वारिसान द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का दावा खारिज करने का आलोच्य आदेश डिक्री के ही समकक्ष है जिसकी अपील सुनने का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। अपील विधिक वारिसों द्वारा प्रस्तुत की गई है।

33 न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है।

34 हमने बहस पर मनन किया विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का आदर पूर्वक परिशीलन किया गया ।

35 वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 वास्ते घोषणा में चुन्नी लाल, जाति चमार एक वाद लेकर आया। वादी चुन्नीलाल को एलाटमेंट एडवाईजर कमेटी द्वारा दिनांक 27.08.72 को खसरा नम्बर 1105 रकबा 2.04 भूमि आवंटन हुई। जिसका हाल खसरा नम्बर 1137 तथा साबिक खसरा नम्बर 1103 रकबा 1.18, 1104 मि0 रकबा 0.10, 1105मि0 रकबा 1.10, 1114 मि0 रकबा 0.16 तथा खसरा नम्बर 1105 मि0 रकबा 1.00,

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

खसरा नम्बर 1105 मि0 रकबा 0.12 है। जिस पर वादी चुन्नीलाल काबिज काश्त है। चुन्नीलाल के नाम गैर खातेदारी में भी उक्त विवादित भूमि दर्ज की गई है।

36 उसी दौरान उपखण्ड अधिकारी गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 31.07.2017 को खसरा नम्बर 1137 रकबा 4.14 बीघा में से 1.10 बीघा आराजी पर वादी के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये गये। इस प्रकार चुन्नीलाल 1.10 बीघा आराजी का खातेदार भी बना दिया था।

37 अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.08.2016 को वादी ने वाद पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किये गये। दिनांक 1.06.2017 को प्रतिवादी को रूक रूक कर तीन बार आवाज लगायी गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । पटवारी हल्का से मौका कब्जा रिर्पोट ली जाकर पत्रावली दिनांक 31.07.2017 को पेश हो। दिनांक 31.07.2017 को पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

38 अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 31.07.2017 को निर्णय पृथक से लिखवाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की गई।

39 आर्डर 9 नियम 13 के अनुसार – प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना– किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसवी निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां त कवह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा ।

40 परन्तु जहां डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी।

41 परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधन हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वाद के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।

42 जहां इस नियम के अधीन एकपक्षीय पारित डिक्री के विरूद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है वहां उस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा।

43 Setting aside decree ex prate against defendant – In any case in which a decree is passed ex parte againdt a defendant, he may apply to the Court by which the decree was passed for an order to set it aside; and if he satisfices the court that the summons was not duly served, or that he was prevented by any sufficient cause form appearing when the suit was called on for hearing, the Court shall make an order setting aside the decree as aginst him upon such terms as to costs, payment into Court or otherwise as it thiks fit, and shall appointed a day for processing with the suit;

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

44 Provided that where the decree is of such a nature that it can not be set aside as against such defendant only it may be set aside as against all of any of the other defendants also.

45 आर्डर 9 नियम 13 में प्रार्थना पत्र जब लगाया जाता है जब वाद विचाराधीन हो। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का वाद दिनांक 31.07.2017 को ही निर्णित हो चुका है।

46 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही निर्णय में वादी के पक्ष में दिनांक 31.07.2017 को निर्णय कर दिया गया एवं उसी पत्रावली में आर्डर 7 नियम 11 को दिनांक 10.02.2021 को स्वीकार कर पुनः निर्णय पारित कर दिया। जबकि पटवारी हल्का की रिर्पोट यह दर्शाती है कि दिनांक 31.07.2017 को चुन्नी लाल बनाम गोपाल वगैरह के सम्बन्ध में जो दावा फैसल हुआ उक्त आराजी खसरा नम्बर 1137/4 14 में से लगभग 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर 40–50 वर्षों से वादीचुन्नीलाल पिता घीसा लाल निवासी डग का ही कब्जा होना बताया गया है। जब उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 31.07.2017 को निर्णय कर दिया तो पुनः सी पी सी प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 को स्वीकार किया और उसके पश्चात आर्डर 7 नियम 11 को स्वीकार कर दावे को खारिज कर दिया। जबकि पूर्व में दिनांक 31.07.2017 को वादी के पक्ष में दावा फैसल कर दिया था। इस प्रकार एक ही पत्रावली में दो बार विरोधाभासी निर्णय पारित कर भारी कानूनी एवं प्रकियात्मक त्रुटि की है। इस बाबत कौन–कौन दोषी कार्मिक हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावे।

47 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः गुणावगुण

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

पर दोनों पक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2023 को उपस्थित होवें।

48 निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/12/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा